निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1941 (श0)
(सं0 पटना 1331) पटना, वृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०-01-17/2019/8868/लेज--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 19, 2019)

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982–83 एवं 2004–05) (संख्या–2) अधिनियम, 2019

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम। – यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982–83 एवं 2004–05) (संख्या–2) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

2. 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 9849223 रूपये एवं 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 55417217 रूपये तथा 264875 रूपये की निकासी।

बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ–8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू0 65531315/– (छः करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार तीन सौ पन्द्रह) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. विनियोग। – इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1982–83					**अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)**		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	डेयरी विकास	पशु एवं मत्स्य संसाधन	राजस्व	**9849223**	–	**9849223**
				कुल	**9849223**	–	**9849223**

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2004–05					**अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)**		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	उच्च शिक्षा विभाग	शिक्षा	राजस्व	**55417217**	–	**55417217**
				कुल	**55417217**	–	**55417217**

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2004–05					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	स्वास्थ्य	पूंजी	**264875**	–	**264875**
				कुल	**264875**	–	**264875**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1331-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in